न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश,बिहारशरीफ,नालन्दा ।
नियमित जमानत आवेदन संख्या 212/2026
मो0 छोटू बनाम बिहार सरकार
सोहसराय थाना कांड सं0 09/2026
अंतर्गत धारा 305, 317(2) B.N.S

19.03.2026

दिनांक 14.01.2026 से कारावासित अभियुक्त **मो0 छोटू** की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता मो0 अली ईमाम तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 14.01.2026 को सुबह 07:00 बजे सूचक दूध लेकर बाजार से घर आया तो देखा कि एक अंजान व्यक्ति उनके घर में घुसा हुआ है। जो उन्हें देखते ही भागने का प्रयास करने लगा जिसे पकड़ लिया गया। पकड़ाए व्यक्ति से पूछने पर बताया कि वह चोरी करने के लिए घर में घुसा था तथा अपना नाम मो0 छोटू बताया। जिसकी जांच करने पर उसके पैंट के दाहिने पॉकेट से उनके घर का मोबाईल बरामद हुआ। इस घटना को तत्काल सीनीय थाना को सूचित किया तो पुलिस आकर पकड़ाए व्यक्ति को ले गई।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है, उन्हें इस वाद में झूठे व गलत आधार पर फंसा दिया गया है। आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। आवेदक के विरूद्ध उक्त धाराओं का अभियोग बनता प्रतीत नहीं होता है। उनका यह भी कथन है कि आवेदक के पास से चोरी की गए सामान की बरामदगी नहीं हुई है । आवेदक के विरूद्ध किसी तरह का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है तथा लगाए गए आरोप सामान्य व बहुप्रयोज्य प्रकृति के है। उनका यह भी कथन है कि आवेदक के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है । आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 14.01.2026 से कारा में संसीमित है। अतः आवेदक को जमानत का लाभ प्रदान किया जाए।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक/अभियुक्त के जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख तथा संबंधित विचारण न्यायालय अभिलेख का अवलोकन किया और पाया कि आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। यह भी विदित होता है कि आवेदक के विरूद्ध इस वाद में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 14.01.2026 (लगभग दो माह) से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश,बिहारशरीफ,नालन्दा ।

नियमित जमानत आवेदन संख्या 212 / 2026

मो0 छोटू बनाम बिहार सरकार

सोहसराय थाना कांड सं0 09 / 2026

अंतर्गत धारा 305, 317(2) B.N.S

लगातार

19.03.2026

अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों तथा विशेष रूप से आवेदक के कारावधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक को 10,000 / –रु0 के जमानत तथा उसी राशि के समतुल्य वाले दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत संबंधित विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत का लाभ इस शर्त पर प्रदान किया जाता है कि **आवेदक के एक जमानतदार उनके माता, पिता या कोई करीबी रिश्तेदार होगे ।**

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश,
नालन्दा, बिहारशरीफ।